

# लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

# LIBERTY

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185

पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वां माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुदेल,

पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा

कॉर्पोरेट ऑफिस: भुतल, टावर-ए, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी,

फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा

दूरभाष : + (91)-0124-4616200 फेक्स: + (91)-0124-4616222

ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

## सूचना

### (कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान देने के लिए) विषय: आई ई पी एफ को कम्पनी की इक्विटी शेयर का हस्तांतरण (इनवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड)

यह सूचना प्रभावी अधिसूचित इनवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, हस्तांतरण और रिफंड) नियमावली 2016 (नियम) समय समय पर संशोधित के अनुसार, प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित है।

कम्पनी द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए घोषित लामांश जो कि लगातार सात वर्षों या अधिक के लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है कम्पनी द्वारा इनवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड (आई ई पी एफ) के बैंक खाते में नवम्बर 2021 माह में हस्तांतरण किया जाने के योग्य है। तथा नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, कम्पनी द्वारा संबंधित शेयर भी उपरोक्त इनवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड (आई ई पी एफ) के डिमेट खाते में हस्तांतरण किया जाने के योग्य है।

नियम में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, कम्पनी ने संबंधित शेयर धारकों जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने के लिए उक्त नियमों के अंतर्गत आई ई पी एफ प्राधिकरण के डिमेट खाते को हस्तांतरित किए जाने के योग्य हैं, को दिनांक 07 जुलाई 2021 तक संबंधित शेयर धारकों को कम्पनी के साथ पंजीकृत पते पर डाक माध्यम से नोटिस भेजे जा चुके हैं। तथा उसका विवरण कम्पनी की अपनी वेबसाइट (www.libertyshoes.com) पर अपलोड किया है।

उक्त में मददेनजर, कृपया ध्यान दें:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और जिनके शेयर आई ई पी एफ को हस्तांतरित किए जाने के योग्य हैं, से संबंधित शेयर धारक कृपया ध्यान दें, कि कम्पनी नियमों अनुसार आई ई पी एफ को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा आयोजित मूल शेयर प्रमाण पत्र (ओ) के सम्बंध में डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (ओ) को जारी करेगी और ऐसे जारी करने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओ) जो उनके नाम पर पंजीकृत है, स्वयं रद्द हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले और जिनके शेयर आई ई पी एफ को हस्तांतरित किए जाने के योग्य हैं, से संबंधित शेयरधारक ध्यान दें, कि कम्पनी नियमों अनुसार आई ई पी एफ को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए संबंधित शेयर धारकों के डिमेट खाते को डेबीट करेगी।

शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है, कि अपनी वेबसाइट पर कम्पनी द्वारा अपलोड किया गया विवरण पर्याप्त जानकारी के रूप में माना जाएगा और नियमों के अनुपालन में आई ई पी एफ प्राधिकरण के डिमेट खाते को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए कम्पनी द्वारा डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (ओ) के जारी करने के सम्बंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। ऐसे सभी शेयरधारकों से, जिन्होंने वर्ष 2013-14 के लिए घोषित लामांश का दावा नहीं किया है, अनुरोध है कि वे कम्पनी/रजिस्ट्रार को दावे के उद्देश्य से आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक भेज दे ताकि उनके शेयरों को आई ई पी एफ में हस्तांतरित नहीं किया जाए।

कृपया ध्यान दें कि यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार द्वारा दावा आवेदन उपरोक्त तिथि तक प्राप्त नहीं किया जाता है, कम्पनी बिना किसी सूचना के आई ई पी एफ को पड़े शेयरों को हस्तांतरित करेगी।

शेयरधारक ध्यान दें कि गैरभुगतान/गैरदावा लामांश तथा संबंधित शेयर दोनों और ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लामों, यदि कोई है सहित आई ई पी एफ डिमेट खाते/बैंक खाते में हस्तांतरण नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर आई ई पी एफ प्राधिकरण से उनके द्वारा दावा किया जा सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त पश्चात् कम्पनी से गैर भुगतान/गैरदावा लामांश तथा संबंधित शेयर पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। उक्त विषय के मामले और नियमों पर पूछताछ के मामले में, शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट मैसर्स लिंक इन टाईम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबेल हाईट्स प्रथम तल, प्लॉट एन एच-2, सी-1 ब्लाक एल एस सी, नियर सावित्री मार्केट, जनकपुरी नई दिल्ली - 110058, दूरभाष 011-41410592, ई-मेल iepf.shares@linkintime.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

अंत में, सदस्यों को सलाह दी जाती है। कि वे आरटीए/डीपी के साथ अपनी ई-मेल आईडी और ई सी एस करने के अधिकार पंजीकृत करें और साथ ही भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से प्रतिभूतियों के बेहतर प्रबंधन के लिए और भौतिक शेयरों के साथ जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अमौलिक रूप में रखने के उनके शेयरों को बदलने पर विचार करने का अनुरोध है। इस संबंध में सदस्य कम्पनी के रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं।

के लिए और की तरफ से  
लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

सी एस मुनीष काकरा  
कंपनी सचिव  
ए सी एस 6262

तिथि: बुधवार, 7 जुलाई, 2021  
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा